



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-01022026-269750
CG-OR-E-01022026-269750

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947

No. 412]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 30 जनवरी, 2026

(रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत सूचना)

का.आ. 440(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989(24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में "वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर उरलाम – श्रीकाकुलम के बीच किमी 745/19-21 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-424 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा(1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) राजस्व मंडलीय अधिकारी (आरडीओ)/ श्रीकाकुलम को वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर उरलाम – श्रीकाकुलम के बीच किमी 745/19-21 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-424 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे

वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में “वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर उरलाम – श्रीकाकुलम के बीच किमी 745/19-21 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-424 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम और राज्य: श्रीकाकुलम, और आंध्र प्रदेश

(अनुलग्नक1)

क्र.सं	गांव का नाम	एल. पी. एम. नंबर	एकड़ में कुल क्षेत्रफल	एकड़ में अधिग्रहित क्षेत्र	भूमि का प्रकार	भूमि का वर्गीकरण
1	पूनम	40	62.1	2.298	सरकारी पोराम्बोक	सरकारी भूमि
2	पूनम	41	4.94	0.052	सरकारी पोराम्बोक	सरकारी भूमि
3	पूनम	1561	18.59	0.864	सरकारी पोराम्बोक	सरकारी भूमि
4	पूनम	1561	18.59	0.130	गीली भूमि	सरकारी भूमि
5	पूनम	1723	1.01	0.102	गीली भूमि	निजी भूमि
6	पूनम	1726	0.13	0.052	गीली भूमि	निजी भूमि
7	पूनम	1727	0.14	0.077	गीली भूमि	निजी भूमि
8	पूनम	1728	0.12	0.086	गीली भूमि	निजी भूमि
9	पूनम	1730	0.15	0.001	गीली भूमि	निजी भूमि
10	पूनम	1731	0.17	0.155	गीली भूमि	निजी भूमि
11	पूनम	1732	0.24	0.127	सरकारी पोराम्बोक	सरकारी भूमि
12	पूनम	1733	0.29	0.076	गीली भूमि	निजी भूमि
13	पूनम	1734	1.03	0.093	गीली भूमि	निजी भूमि
14	पूनम	1736	0.68	0.168	गीली भूमि	निजी भूमि
15	पूनम	1737	0.5	0.153	गीली भूमि	निजी भूमि
16	पूनम	1745	1.19	0.121	गीली भूमि	निजी भूमि
17	पूनम	1917	4.47	0.584	सरकारी पोराम्बोक	सरकारी भूमि
18	पूनम	1918	0.67	0.118	गीली भूमि	निजी भूमि
19	पूनम	1921	0.68	0.101	गीली भूमि	निजी भूमि

20	पूनम	1922	0.44	0.085	गीली भूमि	निजी भूमि
21	पूनम	1928	0.52	0.130	गीली भूमि	निजी भूमि
22	पूनम	1932	0.28	0.165	गीली भूमि	निजी भूमि
23	पूनम	1933	0.17	0.122	गीली भूमि	निजी भूमि
24	पूनम	1934	0.42	0.083	सरकारी पोराम्बोक	सरकारी भूमि
25	पूनम	1935	0.52	0.061	गीली भूमि	निजी भूमि
26	पूनम	1936	0.49	0.061	गीली भूमि	निजी भूमि
27	पूनम	1937	0.92	0.098	गीली भूमि	निजी भूमि
28	पूनम	1938	0.18	0.182	गीली भूमि	निजी भूमि
29	पूनम	2054	0.08	0.017	गीली भूमि	निजी भूमि
30	पूनम	2056	0.44	0.165	गीली भूमि	निजी भूमि
31	पूनम	2057	0.44	0.083	गीली भूमि	निजी भूमि
32	पूनम	2059	0.12	0.015	गीली भूमि	निजी भूमि
33	पूनम	2060	0.16	0.023	गीली भूमि	निजी भूमि
34	पूनम	3059	0.5	0.046	गीली भूमि	निजी भूमि
35	पूनम	3215	0.173	0.062	गीली भूमि	निजी भूमि
एकड़ में कुल अधिग्रहित क्षेत्र				6.757		

अमूर्त

सरकारी भूमि	4.1389 एकड़
निजी भूमि	2.619 एकड़
कुल भूमि	6.757 एकड़

[फा. सं. CAO/CON/RSP/ROBs/424/20A]

अजय कुमार सामल, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 30th January, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act – 1989

S.O. 440(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (herein after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of **Special Railway Project**, namely, “**Construction of Road over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML - 424 at Km 745/19-21 between Urlam - Srikakulam on Main Line of Waltair Division**” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely **Competent Authority Land Acquisition (CALA) i.e. The Revenue Divisional officer (RDO), Srikakulam for Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML-424 at Km 745/19-21 between Urlam - Srikakulam on Main Line of Waltair Division**” in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further inquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project namely “Construction of Road over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML - 424 at Km 745/19-21 between Urlam - Srikakulam on Main Line of Waltair Division” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh.

Name of the District & State: Srikakulam & Andhra Pradesh

(Annexure-I)

SL. No	NAME OF VILLAGE	LP NEMBER	TOTAL AREA IN ACRES	AQUIRED AREA IN ACRES	KISAM OF LAND	CLASSIFICATION OF LAND
1	PONNAM	40	62.1	2.298	GOVT PORAMBOKE	GOVT. LAND
2	PONNAM	41	4.94	0.052	GOVT PORAMBOKE	GOVT. LAND
3	PONNAM	1561	18.59	0.864	GOVT PORAMBOKE	GOVT. LAND
4	PONNAM	1561	18.59	0.130	WET LAND	GOVT LAND
5	PONNAM	1723	1.01	0.102	WET LAND	PRIVATE LAND
6	PONNAM	1726	0.13	0.052	WET LAND	PRIVATE LAND
7	PONNAM	1727	0.14	0.077	WET LAND	PRIVATE LAND
8	PONNAM	1728	0.12	0.086	WET LAND	PRIVATE LAND
9	PONNAM	1730	0.15	0.001	WET LAND	PRIVATE LAND
10	PONNAM	1731	0.17	0.155	WET LAND	PRIVATE LAND
11	PONNAM	1732	0.24	0.127	GOVT PORAMBOKE	GOVT. LAND
12	PONNAM	1733	0.29	0.076	WET LAND	PRIVATE LAND
13	PONNAM	1734	1.03	0.093	WET LAND	PRIVATE LAND
14	PONNAM	1736	0.68	0.168	WET LAND	PRIVATE LAND
15	PONNAM	1737	0.5	0.153	WET LAND	PRIVATE LAND
16	PONNAM	1745	1.19	0.121	WET LAND	PRIVATE LAND
17	PONNAM	1917	4.47	0.584	GOVT PORAMBOKE	GOVT. LAND
18	PONNAM	1918	0.67	0.118	WET LAND	PRIVATE LAND
19	PONNAM	1921	0.68	0.101	WET LAND	PRIVATE LAND

20	PONNAM	1922	0.44	0.085	WET LAND	PRIVATE LAND
21	PONNAM	1928	0.52	0.130	WET LAND	PRIVATE LAND
22	PONNAM	1932	0.28	0.165	WET LAND	PRIVATE LAND
23	PONNAM	1933	0.17	0.122	WET LAND	PRIVATE LAND
24	PONNAM	1934	0.42	0.083	GOVT PORAMBOKE	GOVT. LAND
25	PONNAM	1935	0.52	0.061	WET LAND	PRIVATE LAND
26	PONNAM	1936	0.49	0.061	WET LAND	PRIVATE LAND
27	PONNAM	1937	0.92	0.098	WET LAND	PRIVATE LAND
28	PONNAM	1938	0.18	0.182	WET LAND	PRIVATE LAND
29	PONNAM	2054	0.08	0.017	WET LAND	PRIVATE LAND
30	PONNAM	2056	0.44	0.165	WET LAND	PRIVATE LAND
31	PONNAM	2057	0.44	0.083	WET LAND	PRIVATE LAND
32	PONNAM	2059	0.12	0.015	WET LAND	PRIVATE LAND
33	PONNAM	2060	0.16	0.023	WET LAND	PRIVATE LAND
34	PONNAM	3059	0.5	0.046	WET LAND	PRIVATE LAND
35	PONNAM	3215	0.173	0.062	WET LAND	PRIVATE LAND
otal Acquired Area in Acres				6.757		

Abstract

GOVT LAND	4.1389 ACRES
PRIVATE LAND	2.619 ACRES
TOTAL LAND	6.757 ACRES

[F. No. CAO/CON/RSP/ROBs/424/20A]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Construction-II)